आई0डी0पी0 / पंचायती राज विषय पर प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र आमॅत्रण ।

कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी चमोली के माध्यम से जनपद के समस्त सदस्य ग्राम पंचायत,प्रधान ग्राम पंचायतों एवॅ ग्राम पचायत विकास अधिकारी एवॅ ग्राम्य विकास अधिकारी को न्याय पंचायत स्तर पर तथा सदस्य नगर पालिका व नगर पंचायतको नगर पालिका स्तर पर सदस्य क्षे0प0,स0वि0अ0(पॅ0),खण्ड विकास अधिकारी को विकास खण्ड मुख्यालय पर एवॅ सदस्य जिला पंचायत को मुख्यालय स्तर पर तीन दिवसीय एकीकृत विकेन्द्रीकृत नियोजन (आई0डी0पी0) / पंचायत राज विषयक पर प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। जिस हेतु अनुभवी स्वयॅ सेवी संस्थाओं से आवेदन पत्र दि0 16 अप्रैल 2015 को 12 बजे तक आमंत्रित किये जाते है तथा उसी दिन अपराहन्न 1.00 बजे से आवेदन पत्र खोले जोयेगें तत्पश्चात संस्था को एक घण्टे का उस विषय पर पावरप्वाइट प्रजेन्टेशन प्रस्तुत करना होगा ।

इस हेतु आवेदन पत्र दि0 16 अप्रैल 2015 तक किसी भी कार्यदिवस में जिला पंचायत राज अधिकारी चमोली–गोपेश्वर से निर्धारित मुल्य 100.00 अदाकर क्रय प्राप्त किये जा सकते हैं या निविदा पत्र वेवसाइट http://www.chamoli.NIC.in से डाउन लोड कर भी प्राप्त किया जा सकता है, जिसका नगद मूल्य निविदा जमा करते समय जिला पंचायत राज अधिकारी चमोली–गोपेश्वर के कार्यालय में जमा करना होगा । प्रतिभागियों का विवरण निम्नवत्त है–

क्र0 स0	विवरण	प्रशिक्षण स्थल	सदस्यों की सॅख्या
1	सदस्य ग्राम पंचायत	न्याय पंचायत मुख्यालय	3663
2	प्रधान ग्राम पंचायत	न्याय पंचायत मुख्यालय	615
3	ग्राम पंचायत एवॅ विकास अधिकारी	न्याय पंचायत मुख्यालय	114
4	नगर पालिका परिषद गोपेश्वर,जोशीमठ एवॅ नन्दप्रयाग	नगर पालिका भवन गोपेश्वर	22
5	नगर पंचायत कर्णप्रयाग,गौचर,पोखरी एवॅ गैरसैंण,	नगर पंचायत भवन सभा कक्ष कर्णप्रयाग	28
6–	सदस्य क्षेत्र पंचायत,स0वि0अ0(पं0),ख0वि0अधिकारी	विकास खण्ड मुख्यालय	272
7–	सदस्य जिला पंचायत	जनपद मुख्यालय जिला पंचायत सभा कक्ष	27

आवेदन पत्र एक लिफापे में डालने होंगें जो मुहर बन्द होंगें जिसमें निम्न प्रपत्र डालने होंगे–

1– धरोहर राशि के रूप में प्रति विकास खण्ड की दर से आवेदन पत्र के साथ रू0 45000 की एन0एस0सी0 या एफ0डी0आर0 जो कि जिला पंचायत राज अधिकारी चमोली के पद नाम से बन्धक कर लगाया जायेगा । यदि संस्था एक से अधिक विकास खण्डों में प्रशिक्षण देने का इच्छुक हो तो धरोहर राशि प्रति विकास खण्ड की दर से रू0 45000 बन्धक कर लगाया जायेगा । चयनित संस्था को विकास खण्ड,जिला पंचायत,नगर पंचायत के आवॅटन का अधिकार समिति में निहित होगा ।

2–आवेदन पत्र के साथ रू0 100 मात्र मुल्य के स्टाम्प पेपर पर रू0 1.00 का रेबन्यू टिकट हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र की बैधता के सबधों में अनुबन्ध पर लगाया जाना होगा ।

3– आयकर क्लियरेन्स सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलॅग्न करना आवश्यक होगा ।

4– संस्था को प्रशिक्षण की विषय सबॅधी प्रशिक्षण माडल पुस्तिका कम्प्यूटर टंकित प्रस्तुत करनी होगी।

5– संस्था को आयकर रजिस्टेशन (क0स0)व काली सूची में न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

6–संस्था को अपने स्टेटस रिर्पोट प्रस्तुत करनी होगी।

आवेदन की शर्ते–

1–संस्था को आई0डी0पी0एवॅ पंचायती राज के सबॅध में कम से कम एक प्रशिक्षण का अनुभव होना आवश्यक होगा व संस्था का पूरा अवस्थापना / ट्रेनरों की संख्या बाया डाटा व योग्यता देनी होगी ।

2–संस्था पंजीकृत हो।
3–संस्था को प्रशिक्षार्थियों को देने हेतु पेन,पैड,बैग,का ब्राण्डेड नमूना व साहित्य आवेदन पत्र खोलने के दिन प्रस्तुत करना होगा ।
4–आवेदन शशर्त मान्य नहीं होगी।
5–आयकर एवॅ अन्यकरों की कटौती नियमानुसार संस्था के बिलों से देय होगी जिसका पृथक से भुगतान नहीं किया जायेगा ।
5–आवेदन पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार समिति में निहित होगा।
7–आवेदन विषयक अन्य जानकारी किसी भी कार्यदिवस में जिला पंचायत राज अधिकारी चमोली–गोपेश्वर के कार्यालय में आकर की जा सकती है।
8 संस्थाओं का चयन का अधिकार उनके द्वारा प्रस्तुत पावर प्वान्ट प्रजेन्टेशन व उपलब्ध कराई गई सामग्री के नमूने के आधार पर समिति को होगा ।
9–प्रशिक्षण प्रति सत्र पर 40 प्रतिभागी ही प्रतिभाग करेंगें।
10–सदस्य ग्राम पंचायत,प्रधान ग्राम पंचायत,सदस्य नगर पालिका/नगर पंचायत प्रति प्रतिभागी प्रति दिन रू0 340 सदस्य क्षेत्र पंचायत,स0वि0अ0पं0,ख0वि0अ0 प्रतिदिन रू0 670 एवॅ सदस्य जिला पंचायत प्रति दिन रू0 1240 तक ही ब्यय सीमित होगा जिसमें निम्न सामग्री प्रशिक्षार्थियों को देय होगी ।
11–पेन पैड,बैग,साहित्य,प्रति दिन भोजन(चाय,नाश्ता लन्च) न्यूनतम यात्रा भत्ता (ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को छोड कर) सदस्यों को देय होगा । साथ ही संस्था को प्रशिक्षण की अवधि में फोटोग्राफी,बी0डि0यो0ग्राफी भी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। उक्त राशि में संस्था का अपना सम्पूर्ण ब्यय जुडा होगा । जिसमें सभी कर भी सम्मिलित होगें। इसके अतिरिक्त संस्था को अन्य ब्यय पृथक से देय नहीं होगा ।
12– प्रशिक्षण अवधि में जिला स्तरीय अधिकारी वि0ख0स्तरीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जायेगा जो उपस्तिथि पंजिका में अपनी आख्या व टिप्पणी देगे।
13–संस्था को अन्तिम भुगतान प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति,फोटोग्राफी,बी0डि0ओ0ग्राफी के आधार पर किया जायेगा । अनुपस्थित प्रशिक्षाणार्थियों को अनुपस्थित दिन का यात्रा ब्यय,भोजन ब्यय देय नहीं होगा ।

चयन का आधार

1–जिस संस्था द्वारा आई0डी0पी0/पंचायती राज की विषय वस्तु पर उत्कृष्ट प्रस्तुति (प्रजेन्टशन) दिया जायेगा उनका चयन करने का अन्तिम अधिकांर समिति को होगा ।
2–संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले एक प्रशिक्षण माड्ल पुस्तिका जो कम्पयूटर टंकित हो उत्कृष्ट के आधार पर चयन किया जायेगा ।
3–संस्था को सम्पूर्ण जनपद में किसी एक या दो विकास खण्डों,नगर पंचायत,जिला पंचायत में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की समय सीमा देनी होगी ।
4–इसके अतिरिक्त संस्था को विन्दु सॅ0 8 एवॅ 9 पर अपनी सहमति देनी होगी।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी–चमोली गोपेश्वर।

पत्रॉक 546/बी0आर0जी0एफ0/क्ष0प्र0/2014–15 दिनॉक 31 मार्च 2015

प्रतिलिपि– जिला अधिकारी चमोली के सूचना पट हेतु।
3– मुख्य विकास अधिकारी के सूचना पट हेतु।
4– जिला पंचायत राज अधिकारी के सूचना पट हेतु।
5– जिला विकास अधिकारी के सूचना पट हेतु।
6– जिला सूचना अधिकारी चमोली को सूचनार्थ प्रेषित ।
7– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी चमोली को इस अनुरोध सहित कि कृपया एन0आई0सी0के उक्त वैव साइट पर सलग्न विज्ञपित/आवेदन पत्र अपलोड करने का कष्ट करें ।

मुख्य विकास अधिकारी,
चमोली ।

सलग्न–आवेदन पत्र।

आई0डी0पी0प्रशिक्षण हेतु आवेदनपत्र।

फार्म सं0

1	संस्था का नाम व पता	
2	संस्था का दूरभाष न0 / मु0न0	
3	संस्था का रजिस्ट्रेशन सॅ0(प्रमाणित प्रति सलॅग्न करें)	
4	संस्था कितने वर्षो से गतिमान है।	
5	संस्था का पेन नम्बर सं0 (छाया प्रति प्रमाणित संलग्न करें)	
6	फर्म का काली सूची में न होने का शपथ पत्र (सलॅग्न करें)	
7	अनुभव प्रमाण पत्र सलॅग्न करें।	–
8	पूर्व में सम्पन्न कराये प्रशिक्षणों का विवरण(प्रमाण पत्र सलॅग्न करें)	
9	जमानत की धनराशि एफ0डी0आर0 / एन0एस0सी0	NSC No Date Amt FDR No Date Amt

मुहर

दिंनाक

हस्ताक्षर
निविदादाता का नाम
फोन नं0